संख्या-655 / 2017 / 417 / 22-2-2017-17(265) / 2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 16 अगस्त, 2017***

विषय:- जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी छिटनी पत्नी श्री शम्भू, निवासी जनपद-रायबरेली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 02.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी छिटनी पत्नी श्री शम्भू, निवासी ग्राम धौरहरा, थाना ऊँचाहार, जनपद-रायबरेली की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा सुअर के बाडा बनाने के विवाद को लेकर दिनांक 28.05.2001 को महिला बन्दी ने अपने 03 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठी एवं फावडे से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया है। उक्त अपराध के लिए महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-27/2007 में भा0द0वि0 की धारा-304/34, 323/34, 504 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-6, रायबरेली के आदेश दिनांक 05.02.2016 द्वारा 10 वर्ष कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 16.06.2016 तक 00 वर्ष 04 माह 26 दिन की अपरिहार एवं 00 वर्ष 06 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी छिटनी (बन्दी संख्या-08/16) पत्नी श्री शम्भू, निवासी-जनपद-रायबरेली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-655 / 2017 / 417 / (1) / 22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, रायबरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in